

31/2/09

212 RTA

श्रीकृष्ण - 22/2/20

नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

24/2/19

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अभिभाषक अनुपस्थित। सांय 4.30 का समय हो चुका है। प्रार्थी पक्षकार की ओर से प्रार्थी अथवा उनके अभिभाषक अब भी अनुपस्थित है। प्रार्थी और उनके अभिभाषक को पूर्व में एक - एक घण्टे के अन्तराल पर प्रातः 12.00 बजे और दोपहर 2.20 बजे पर दो बार आवाज लगवाये जाने के बावजूद अभी तक कोई उपस्थित नहीं है। अप्रार्थी की ओर से इस पर आपत्ति व्यक्त की गई, फलस्वरूप प्रार्थी पक्षकारान को पुनः आवाज लगवाई गई, फिर भी सांय 5.00 बजे तक कोई उपस्थित नहीं हुआ, तथापि न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी पक्षकार को न्यायालय में उपस्थित होने का एक अवसर दिया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थी पक्षकार अथवा उनके प्रतिनिधि अभिभाषक को इस प्रकरण में पेश होकर वादपत्र की अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय में उपस्थित होने का एक अवसर दिया जाता है। प्रार्थी अथवा उनके अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित होकर आवश्यक रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली आगामी पेशी ~~25/2/19~~ को पेश हो।

*[Signature]*

25/2/19

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अथवा उनके अभिभाषक की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रातः 11.20 बजे प्रार्थी पक्षकार को आवाजे दिलवाई गई, फिर भी प्रार्थी पक्षकार अथवा उनके अभिभाषक में से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद पुनः प्रार्थी पक्षकार को आवाज दिलवाई गई। फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया प्रार्थी अपने वादपत्र के अनुसार अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है फिर भी वाद पत्र पेश कर दिया है, प्रार्थी पक्षकार को इस तथ्य का अनुभव हो चुका है कि उनके द्वारा इस न्यायालय में पेश वाद विधिक तथ्यों पर आधारित नहीं है जो भविष्य में खारिज योग्य है, इसी कारण प्रार्थी और उनके अभिभाषक लगातार न्यायालय की नियत पेशी पर उपस्थित नहीं हो रहे है अतः दावा प्रार्थी खारिज किया जावे। हमने प्रकरण का अवलोकन किया और न्यायालय की नियत पेशी पर उपस्थिति हेतु प्रार्थी पक्षकार को सांय 4.00 बजे पुनः आवाज दिलवाई गई। प्रार्थी अथवा उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इस पर अप्रार्थी के आक्षेप के बावजूद, वाद पेश करने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा वादपत्र में चाहा गया अनुतोष प्रदान करने हेतु न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी पक्षकार अथवा उनके प्रतिनिधि स्वरूप उनके अभिभाषक को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पुनः एक अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है। अतः पत्रावली आगामी पेशी ~~27/2/20~~ की पेश हो।

*[Signature]*